भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5102

जिसका उत्तर 04 अप्रैल, 2022/14 चैत्र, 1944 (शक) को दिया गया

गैर-निष्पादनकारी आस्तियों को बट्टे खाते में डालना

5102. श्री जी. एम. सिद्देश्वरः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार, जिन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबीज़) का निजीकरण किया जाना है, उनके निजीकरण से पूर्व गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एनपीएज़) को बट्टे खाते में डालने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो बट्टे खाते में डाली जाने वाली एनपीए की कुल राशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसी कोई सलाह दी है कि निजी कंपनियां उन पीएसबीज़ का स्वामित्व ले सकती है, जिन्हें निजीकरण के लिए चिह्नित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त सलाह का ब्यौरा क्या है; और

(ड.) उन बैंकों की संख्या कितनी हैं और नाम क्या है जिनका निजीकरण किया जाना है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क) से (ड.): वित्तीय वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में, सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों (पीएसबी) के निजीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (पीएसई) में कार्यनीतिक विनिवेश की नीति का अनुमोदन करने के मामले को उठाने के सरकार के इरादों की घोषणा की गई थी। नीति की मुख्य विशेषताओं के अनुसार, नीति के उद्देश्यों में निजी पूंजी का निवेश करके सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को विकसित करना शामिल है ताकि वे आर्थिक विकास और नये रोज़गार और सामाजिक क्षेत्र में वित्तपोषण और सरकार के विकास कार्यक्रमों में योगदान दे सकें। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के निजीकरण संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा पीएसबी के निजीकरण के संबंध में अभी निर्णय नहीं लिया गया है।

अनर्जक आस्तियों को बट्टे खाते डालने के संबंध में आरबीआई के दिशानिर्देशों तथा बैंक बोर्डों द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ, वैसे ऋण जिनके 4 वर्ष पूरा हो जाने पर जिनके संबंध में पूर्ण प्रावधान किए गए हों, सहित अनर्जक ऋणों को बट्टे खाते डालकर संबंधित बैंक के तुलन-पत्र से हटा दिया जाता है। बैंक अपने तुलन-पत्र को परिशुद्ध करने, कर-लाभ प्राप्त करने तथा आरबीआई के दिशानिर्देशों तथा उनके बोर्डों के द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार पूंजी को इष्टतम बनाने के लिए अपने नियमित कार्यों के भाग के रूप में बट्टे खाते डालने के प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं/विचार करते हैं। चूंकि बट्टे खाते डाले गए ऋणों के उधारकर्ताओं पर चुकौती का दायित्व बना रहता है तथा बट्टे खाते डाले गए ऋण खातों के संबंध में उधारकर्ताओं से बकाया राशि की वसूली की प्रक्रिया जारी रहती है, इस प्रकार बट्टे खाते डालने से उधारकर्ता को कोई लाभ नहीं होता। बैंक विभिन्न उपलब्ध वसूली तंत्रों, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, सिविल न्यायालयों तथा ऋण वसूली अधिकरणों में वाद दायर करना, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत कार्रवाई करना, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) में मुकदमें दायर करना तथा अनर्जक आस्तियों का विक्रय करना शामिल है, के माध्यम से बट्टे खाते डाले गए खातों में वसूली की कार्रवाई जारी रखते हैं।

*****